न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 22/2026

जीसीएमएस नम्बर :– 2026/47

अपीलार्थी :–

1. बालकिशन पुत्र रामदयाल जाति माली निवासी रामासागर बेरा, मगरा पूंजला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. गीता पत्नी स्व. श्री बालूराम उर्फ बाबूलाल।
2. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री बालुराम उर्फ बाबुलाल।
3. हेमलता पुत्री स्व. श्री बालुराम उर्फ बाबुलाल।
4. ललिता देवी पुत्री स्व. श्री बालुराम उर्फ बाबुलाल।
5. उषा पत्नी स्व. श्री अशोक।
6. हितेश स्व. स्व. श्री अशोक।
7. भारती पुत्री स्व. श्री अशोक।

   जातियान माली, निवासीगण बेरा उजीर सागर, मण्डोर जोधपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम सुरपुरा में स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 992 दिनांक 08.08.2023 के विरूद्ध पेश कि गई।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सांखला।

2. रेस्पोडेंटस संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित।

3. रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 03 से 07 अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

– : : निर्णय : : – दिनांक : 08/5/26

....

प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व भीकसिंह की संयुक्त रूप से खरीदसुदा, सहखातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 143 कुल रकबा 89 बीघा में से रकबा 06 बीघा 08 बिस्वां, वाके ग्राम सुरपुरा, पटवार क्षेत्र सुरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर में आयी हुई है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को अपीलान्ट में पूर्व खातेदारो से रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये खरीद की, बाद खरीद उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर उक्त खरीदसुदा भूमि राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 507 दिनांक 20.07.2011 के जरिये अपीलान्ट के नाम से अमल दरामद की गई। पूर्व में खसरा संख्या 143 रकबा 89 बीघा एवं खसरा संख्या 144 रकबा 11 बीघा, कुल खसरा 02 कुल रकबा 100 बीघा कृषि भूमि दुर्गाराम, सन्तोकसिंह पुत्रान् दमाराम (1/2 हिस्सा) एवं ओमप्रकाश, पदमाराम, बालूराम उर्फ बाबुलाल, श्यामलाल पुत्रान् नारायणराम (1/2) के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी उक्त दोनो खसरान् में बालुराम उर्फ बाबुलाल का 1/8 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था, जिसके अनुसार बालुराम उर्फ बाबुलाल के बंट व हिस्से में रकबा 12 बीघा 10 बिस्वां भूमि आती थी । बालुराम उर्फ बाबुलाल ने उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 143 व 144 में निहित अपने बंट व हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कमला पत्नी श्री मनोहरलाल (रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा) एवं सन्तोष पत्नी श्री रमेश सांखला (06 बीघा 15 बिस्वां) को कर दिया। बाद खरीद उक्त बेचाननामो के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 621 स्वीकृत किया जाकर बालुराम उर्फ बाबुलाल के सम्पूर्ण बंट व हिस्से की भूमि कमला एवं सन्तोष के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर ली गई। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में बालुराम उर्फ बाबुलाल का बंट व हिस्सा समाप्त हो गया। कमला एवं सन्तोष ने अपनी खरीदसुदा भूमि को कृषि से आवासीय में रूपान्तरित करवा दिया, जिस पर उपरोक्त वर्णित खसरान में से रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से दर्ज कर ली गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 632 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से स्वीकृत किया गया। बालुराम उर्फ बाबुलाल के द्वारा अपने

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से की भूमि कमला व सन्तोष को बेचान कर दी, तत्पश्चात् कमला व सन्तोष ने उक्त खरीदसुदा भूमि को कृषि से आवासीय में रूपान्तरित भी करवा लिया। उसके बावजूद भी बालुराम उर्फ बाबुलाल का स्वर्गवास दिनाक 19.08.2019 को होने के पश्चात् बालुराम उर्फ बालुराम के विधिक वारिसान् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 को सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी होने एवं बालुराम उर्फ बाबुलाल के बंट व हिस्से की भूमि बेचान होने की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करते हुए बालुराम उर्फ बाबुलाल के स्वर्गवास के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 992 दिनाक 08.08. 2023 को स्वीकृत करवाकर बालुराम उर्फ बाबुलाल के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 के द्वारा अपना नाम अमल दरामद करवा लिया। बालुराम उर्फ बाबुलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में अपना सम्पूर्ण बंट व हिस्सा बेचान करने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 ने उनके स्वर्गवास के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है, जो पूर्णतया गलत एवं विधि विरूद्ध है, उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जावे, अपीलाधीन नामान्तरकरण 992 दिनांक 08.08.2023 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट एंव भीकसिंह का हिस्सा दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित करवाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को नोटिस जरीए रजिस्टर्ड डाक से जारी कर तलब किया गया। अपीलाधीन मूल नामान्तरण तहसीलदार जोधपुर से तलब किये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित। शेष रेस्पोडेंट्स संख्या 01 तथा 03 से 07 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेंट्स की अनुपस्थिति दर्ज की जाती है।

अपीलार्थीगण द्वारा अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट ने तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 992 के विरूद्ध एक अपील

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

माननीय न्यायालय के समक्ष मजबूत आधार एवं ठोस तथ्यों पर प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलान्ट को सफलता मिलने की पूर्ण आशा हैं। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकण की जानकारी हाल ही में हुई, जब अपीलान्ट ने अपने भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त की, तब अपीलान्ट की जानकारी में आया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उनके नाम भूमि कम दर्ज है, तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी के द्वारा बताया गया कि बालुराम उर्फ बाबुलाल के स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिसान् के द्वारा उनका फौतेदगी का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है, इस कारण सभी खातेदारो के हिस्से से भूमि कम की गई है, तब सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी प्राप्त हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त अपीलाचीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी, जानकारी की दिनाक से अपील अंदर म्याद पेश है अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, वह सद्भाविक है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को कण्डोन कर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाकर मेरिट पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया।

अपील का निस्तारण करने से पूर्व धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के संबध में बताये गये समस्त कारण उचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को माफ किया जाता है।

बहस वकुलाय सुनी गयी। प्रस्तुत अपील मीमो, पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, मूल रिकॉर्ड इत्यादी का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस पूर्ण करते हुए निवेदन किया कि बालुराम उर्फ बाबुलाल ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से की भूमि का बेचान कमला एंव सन्तोष को कर दिया गया था, जिससे बालुराम उर्फ बाबुलाल का उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा शेष नहीं रहा उसके बावजूद भी बालुराम के स्वर्गवास पश्चात सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेंट संख्या संख्या 01 से 07 ने अपना नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया गया है,

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

जो कि पूर्णतया गलत एंव विधि विरूद्ध है अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 992 दिनांक 08.08.2023 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील के विरूद्ध अनापत्ति जाहिर की। शेष रेस्पोडेंट्स संख्या 01 तथा 03 से 07 तक कोई भी व्यक्तिगत या जरीये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए एंव ना ही उक्त की ओर से कोई जवाब प्राप्त हुआ जिससे शेष रेस्पोडेंट्स की अनुपस्थिति दर्ज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 992 दिनांक 08.08.2023 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
अपर जिला कलक्टर,
(द्वित्तीय) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 08/5/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
अपर जिला कलक्टर,
(द्वित्तीय) जोधपुर